राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

ईश्वरलाल बनाम कजोडमल

तारीख हुक्म	1806/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित। उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता रेस्पो. को उपस्थित होकर लिखित/मौखिक बहस हेतु पत्रावली दिनांक 06/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
06/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित। उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 09/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
09/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाके एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की एकपक्षीय बहस समायत कर आदेश दिनांक 04/03/2015 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/रेस्पो. को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20/02/2020 पारित करते हुए अप्रार्थीगण/रेस्पो. को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होना धारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गयी एवम अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि इस विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वाद सहखातेदारान के मध्य विभाजन का है, ऐसेमें रिकार्डेड सहखातेदारान/पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से उनकी खाते एवं हिस्से की आराजी के स्वतंत्र उपयोग-उपभोग से वंचित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीयक्षति के बिन्दुओं राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	ईश्वरलाल बनाम कजोडमल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20/02/2020 को यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	